



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126896

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 19518/2026

विशाल @ मोंटी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : अभिजीत सिंह, सौरभ सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री सौरभ सिंह और राज्य की ओर से ए.जी.ए. की बात सुनी गई और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को भी देखा गया।
2. यह जमानत अर्जी आवेदक की ओर से केस क्राइम नंबर 158/2026 में दायर की गई है। यह मामला बी.एन.एस. की धाराओं 191 (2), 190, 125, 326 (G), 333, 324(4), 115 (2), 351(2), 3(5) और आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 1932 की धारा 7 के तहत पुलिस स्टेशन-सेक्टर-63, जिला-गौतम बुद्ध नगर में दर्ज है जिसमें आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि एफ.आई.आर में आवेदक का नाम नहीं है और उसके पास से कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इसी तरह के मामले में शामिल अन्य आरोपियों - अनमोल, विवेक पांडे और ब्रजमोहन - को संबंधित बेंचों और इस कोर्ट ने क्रमशः 03.06.2026, 05.06.2026 और 10.06.2026 के आदेशों के ज़रिए जमानत दे दी है। ये आदेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



क्रिमिनल मिसलेनियस ज़मानत अर्ज़ी नंबर 19238/2026, 19707/2026 और 19373/2026 में दिए गए थे। यह भी बताया गया कि आवेदक के खिलाफ़ एक और मामला दर्ज है जिसमें उसे ज़मानत मिल चुकी है, और उस मामले के अलावा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन हालात में, समानता के आधार पर आवेदक को भी ज़मानत मिलनी चाहिए। अगर उसे ज़मानत मिलती है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुक़दमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए ने आवेदक की ज़मानत की अर्ज़ी का विरोध किया है, लेकिन निष्पक्षता से यह स्वीकार किया है कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपियों - अनमोल, विवेक पांडे और ब्रजमोहन - को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है।

5. आवेदक के वकील और ए.जी.ए की दलीलों पर विचार करने, एफ.आई.आर और अन्य संबंधित दस्तावेज़ों को देखने, और अपराध की प्रकृति, सबूत, आरोपी की संलिप्तता और सज़ा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए—और बिना मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए—मेरा मत यह है कि आवेदक ज़मानत का हकदार है। समानता के आधार पर ज़मानत की अर्ज़ी मंज़ूर की जाती है।

6. आवेदक- विशाल @ मोंटी, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल है, को ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे संबंधित अदालत की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो ज़मानतदार देने होंगे, और उसे निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें शामिल नहीं होगा जो उस अपराध जैसा हो जिसका उस पर आरोप है या जिसके करने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके, और न ही वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक को यह वचन-पत्र देना होगा कि जब गवाह कोर्ट में मौजूद हों, तो वह सबूत के लिए तय तारीख पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(iv) आवेदक को तय हर तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस वजह के गैर-हाज़िर रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 229-A (जो बीएनएस की धारा 269 के बराबर है) के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(v) अगर आवेदक सुनवाई के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए सी.आर.पी.सी. की धारा 82 (जो बीएनएस की धारा 84 के बराबर है) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-A (जो बीएनएस की धारा 209 के बराबर है) के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को इन तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने खुद मौजूद रहना होगा: (1) केस की शुरुआत, (2) आरोप तय करना और (3) सी.आर.पी.सी. की धारा 313 (जो बीएनएस की धारा 351 के बराबर है) के तहत बयान दर्ज करना। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस वजह के गैर-हाज़िर रहा है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

7. उपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय द्वारा ज़मानत रद्द की जा सकती है।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

11 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।